decision. But they should not bypass the House by going to the press first.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): This statement has not been given to the press. Kindly listen to the statement and then you will understand.

Hon. Members will recollect that the Third Pay Commission had recommended to Government a formula according to which increases in D.A. to Central Government employees were to be given at specific percentage rates for every 8 point increase beyond 200 points in the 12-monthly average of the All India Consumer Price Index for industrial workers (1960-100). Nine instalments of Dearness Allowance were sanctioned according to this formula from time to time till the average index had reached 272 points. The Third Pay Commission had further recommended that when the average index crossed 272 points, government should review the position and decide whether the DA scheme should be extended further or whether the pay-scales themselves should be revised. After the average index figure crossed 272 points, Government allowed, on an *ad hoc* basis, suitable increases in dearness allowance to mitigate the hardship caused to the employees. Five additional instalments of dearness allowance were allowed by Government to cover the index average of 312 points.

The 12-monthly average index crossed 320 points at the end of December, 1977. Government have given careful consideration to the matter and have decided to sanction an additional (6th) instalment of dearness allowance to Central Government employees with effect from 1-1-1978. This additional instalment would impose an additional burden of Rs. 50 crores in a full year.

While agreeing to sanction an additional D.A. instalment, in keeping with the practice so far followed, the form and manner in which the instalment should be paid is a matter which Government proposes to discuss with the Staff side of the National Council of the JCM.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: How do I understand that it was not given to the press first?

MR. SPEAKER: He has said that he has not given it to the press. The House stands adjourned till 2.15 P.M.

13.15 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till fifteen minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at eighteen minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MATER UNDER RULE 377

REPORTED SUPPLY RAPESEED OIL FOR REFLLING TO TWO BLACK-LISTED FIRMS

MR. DEPUTY-SPEAKER: Matters under rule 377. Dr. Laxminarayan Pandeya.

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर): उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक ऐसा गंभीर, घोटाले और भ्रष्टाचार का मामला सदन में उपस्थित करना चाहता हूं, जिसमें किस प्रकार दिल्ली प्रशासन की बातों की उपेक्षा कर के केन्द्रीय सरकार के एक विभाग ने यहां के एक कैपिटल आयल मिल और कमल आयल मिल को रेप-सीड आयल को साफ करने के बारे में हजारों टन तेल देकर उनको फायदा पहुंचाया है । मुझे इतना ही कहना है कि ये दोनों मिलें दिल्ली प्रशासन द्वारा काली-सूची में दर्ज की जा चुकी थीं क्योंकि पहले भी बहुत बुरे कारनामे इन फर्मों के रहे हैं ।

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय]

कपिटल आयल मिल और कमल आयल मिल, इन दोनों मिलों के पास इस प्रकार तेल संशोधित करने का कोई लाइसेंस पहले भी नहीं था और मेरी जानकारी के अनुसार आज तक भी नहीं है। दिल्ली प्रशासन ने इस बारे में अपनी सख्त नाराजगी प्रकट की है। इन के पास लाइसेंस न होने के बावजूद जो उन्हें काम दिया गया उस के बारे में ऐसा ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय सरकार का जो आपूर्ति मंत्रालय है उस के कुछ अधिकारियों और इन कम्पनियों के बीच में किसी प्रकार की सांठ गांठ है जिस के कारण यह काम उन को दिया गया। "नवभारत टाइम्स" के 22 फरवरी के अंक में यह मामला साफ तौर से प्रकाश में आया है। उसमें—"तेल की काली धार—एक करोड़ रु० का घोटाला" इस शीर्षक के साथ यह प्रकाशित हुआ है और उस में साफ कहा है—श्री खुराना ने बताया कि लाही का तेल रेपसीड साफ़ करने वाली कमल आयल मिल और कैपिटल आयल मिल नामक दोनों फर्मों को दिल्ली प्रशासन ने काली सूची में दर्ज किया था।

"इस के बावजूद ये फर्म अपने पैसे और सत्ता के सर्वोच्च गलियारों के साथ अपने सम्बन्धों के बल पर केन्द्रीय आपूर्ति मंत्रालय से लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य का हजारों टन रेपसीड हासिल करने में कामयाब हो गई है।"

श्री मदन लाल खुराना जो यहां के एग्जीक्यूटिव कौंसिलर हैं उन का हवाला देते हुए कहा है—

श्री मदन लाल खुराना के कथनानुसार, विभिन्न स्थिति यह है कि एक ओर प्रशासन प्रति दिन इन फर्मों के कई कई चालान कर रहा है और दूसरी ओर वे केन्द्रीय आपूर्ति मंत्रालय से नियमित रूप से रेपसीड प्राप्त कर रही हैं।"

दिल्ली प्रशासन ने इन के खिलाफ केस दायर करने के बारे में 1977 के जुलाई में लिख कर दिया लेकिन आज आठ नौ महीने होने को आए, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह मालूम हुआ कि अभी तक जांच ही रही है। आठ महीने हो गए, अभी तक उस की जांच ही की जा रही है जब कि अब तक बाकायदा उन का चालान किया जाना था। एक तरफ दिल्ली प्रशासन यह कह रहा है कि ये फर्में गलत हैं, इन का काम ठीक नहीं है, इन के पास लाइसेंस नहीं है, इन का काम तुरन्त रोका जाना चाहिए, ये जन-जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ केन्द्रीय सरकार इन के साथ सौदा कर रही है। इन फर्मों को पिछली सरकार ने इसी प्रकार के ठेके दिए थे उस समय भी इन फर्मों ने भारी घोटाला किया था। उस घोटाले से और इन के इस प्रकार के कारनामों से नाराज हो कर दिल्ली प्रशासन ने इन को ब्लेक लिस्ट करने की बात कही थी लेकिन आज भी इन को यह काम दिया जा रहा है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, वे स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में इनको यह काम दिया गया और आज भी हजारों टन रेपसीड साफ करने का काम जो इनको दिया जा रहा है यह किस की सिफारिश, पर किया जा रहा है। जब कि दिल्ली प्रशासन ने विरोध किया तब भी इन को यह काम क्यों दिया गया और जो बिना लाइसेंस ये फर्में यह काम कर रही हैं उस के लिए उन के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करने के बारे में केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है ?

14.23 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further consideration